(218) (94)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
श्रृंखला न्यायालय रीवा जिला–रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2314-II-15

राममणि मिश्रा तनय स्व0 केदारराम मिश्रा उम्र–55 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम डढ़िया, तहसील चुरहट, जिला–सीधी (म0प्र0) ---------निगरानीकर्ता

बनाम

1. कन्हैयालाल तनय बुद्वसेन वर्मा उम्र–78 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम साड़ा तहसील चुरहट, जिला–सीधी (म0प्र0) हाल मुकाम द्वारा सन्तकुमार विश्वकर्मा उर्फ कल्लू निवासी ग्राम गुढ़, थाना व तहसील गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन ------------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, द्वारा प्रकरण क्रमांक 331 निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 को अपास्त किये जाने हेतु

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक 15-6-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पिता ने अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 1796 स्थित ग्राम साड़ा तहसील चुरहट, जिला–सीधी का जुज रकवा 1 एकड़ गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया था, जिसका विधिवत नामान्तरण भी गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 के हक में तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया जाकर राजस्व अभिलेख गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 के नाम तैयार कर दिया गया था, उक्त पुरानी आराजी क्रमांक 1796 का अंश रकवा 0.32 एकड़ को बटाकंन क्रमांक 1796/4 पर अंकित किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता के पिता केदारराम के नाम अभिलिखित किया गया, जिसे केदारराम द्वारा अपने जीवनकाल तक किसी भी व्यक्ति के हक में गहन, दान, बिक्री नहीं किया गया।

क्रमांक 5868 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ...... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल ग्वालियर

(94)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R-2314-II/15 जिला– सीधी

रामभोला मिश्रा विरूद्ध कन्हैयालाल

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सीधी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 331/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~...1796/4 पर अंकित किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता के पिता केदारराम के नाम अभिलिखित किया गया, जिसे केदारराम द्वारा अपने जीवनकाल तक किसी भी व्यक्ति के हक में गहन, दान, बिक्री नहीं किया गया।~~